न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 41 /2021

वादी :–

विनोदकुमार पुत्र पदमाराम जाति सुथार

नि० कोढूका ग्राम पंचायत मारवाड़ नगर

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

चनणाराम, श्रवण कुमार पिता पदमाराम, सागर देवी प०

पदमाराम जाति सुथार नि० कोढूका

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री विनोदकुमार स्वंय वादी।
2..श्री चनणाराम, सागरदेवी प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 14.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं ....109.... रकबा ....61-18.... बीघा, ख.नं. 202 रकबा 69-05 बीघा,

सरहद मौजा ....कोढूका.... तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ....कंशीलाल.... होने से राजस्व रेकर्ड में ....कंशीलाल.... दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम ....विनोद कुमार.... दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। अतः राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ....कंशीलाल.... के स्थान पर ....विनोद कुमार.... सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:18 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम बंशीलाल के स्थान पर विनोद कुमार दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच उप तहसीलदार, पाटोदी पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 109, 202/180 रकबा क्रमशः 61.18, 69.05 बीघा, सरहद मौजा कोटड़ा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम बंशीलाल दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~समसीम~~ आवेदक एवं उप तहसीलदार पाटोदी की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम बंशीलाल दर्ज किया गया है वादी का सही नाम विनोद कुमार है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 109 व 202/108 रकबा 61.18, 69.05 बीघा, सरहद मौजा कोटड़ा

सहायक कलेक्टर (एसडीओ) बालोतरा

कागजात अराजी में वादी का गलत नाम बंशीलाल पुत्र पदमाराम के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र पदमाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2021 **को ओपन कोर्ट** बालोतरा **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:18 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......बालोतरा......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
विनोद कुमार पुत्र पदमाराम जाति सुथार नि. कोहूका तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		चनणाराम, श्रवण कुमार पि. पदमाराम, सागरदेवी w/o पदमाराम जाति सुथार नि. कोहूका तह. पचपदरा राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ...विनोद कुमार ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ...चनणाराम सागरदेवी पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ...109 व 2021/108.... रकबा 61.18, 69.05.... बीघा, सरहद मौजा ...कोहूका
....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ...बंशीलाल.............. पुत्र ...पदमाराम...... के स्थान पर ...विनोद कुमार..... पुत्र ...पदमाराम...खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...14.10.2021...को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:18 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रू	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प जवाबदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		